25.07.2025 को पेश हो।

25/07/25

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। TDR नदबई द्वारा पत्रांक 686 दिनांक 22/07/25 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम डिप्टी उर्फ ~~विप~~ विपतीराम के स्थान पर डिप्पी उर्फ विपतीराम अंकित हो गया है जो गलत है अतः इसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। हमने बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तहसीलदार नदबई द्वारा भी उक्त नाम को दुरुस्त करने की अभिशंषा की गई है।

अतः, प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी के खाता संख्या 343 (वाके ग्राम रायसीस) में डिप्टी उर्फ विपतीराम पुत्र उदयसिंह सा० नदबई के स्थान पर डिप्टी उर्फ विपतीराम पुत्र उदयसिंह सा० रायसीस शुद्ध किया जाता है। एवं खाता सं. 571, 573, 574, 796, 553 में प्रार्थी का नाम डिप्पी पुत्र उदयसिंह के स्थान पर डिप्टी उर्फ विपतीराम [illegible] उदयसिंह सा० रायसीस शुद्ध किया जाता है। उपरानुसार [illegible] रिकॉर्ड में अंकन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। [illegible] फैसल [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:10:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner